न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 17/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— संजय बिश्नोई पुत्र श्री हेतराम बिश्नोई निवासी चक 10 एल.एन.सी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर पुलिस थाना सदर।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री महेन्द्र बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 24.10.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.12.2014, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध दिनांक 26.8.15 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने स्वर्गीय पिता श्री हेतराम पुत्र लाधुराम के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 3719/57 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल गन नं. 949 को प्राप्त करने के उध्देश्य से दिनांक 29.11.12 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। मृतक श्री हेतराम के वारिसान द्वारा सहमति स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, अति. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशा) जोन श्रीगंगानगर, पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सुरक्षा) राज. जयपुर एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1839 दिनांक 24.09.14 एवं 2435 दिनांक 16.12.14 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को लाईसेंस दिया जाना "अनुचित" बताया है, जिसको आधार मानते हुए जिला कलक्टकर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.14 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी । अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अवगत कराया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को विलम्ब से प्राप्त हुई है, जिसके समर्थन में मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर न्याय हित में अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री महेन्द्र बिश्नोई का वरवक्त बहस मुख्य रुप से कथन है कि मातहत अदालत का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून, इंसाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के आवेदन पत्र को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निरस्त किया गया है, जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। फिर भी आवेदक को लाइसेंस दिया जाना अनुचित बताया है एवम् कोई कारण नहीं दर्शाया है। जब कि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी पूर्व रिपोर्ट दिनांक 14.8.13 में मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं की गयी है । अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश सामान्य ऑर्डरशीट पर कार्यालय टिप्पणी की तरह अंकित है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन स्वंय की सुरक्षा हेतु किया था। अभिभाषक अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.14 निरस्त किये जाने योग्य बताते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने मृतक पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1839 दिनांक 24.09.14 एवं 2435 दिनांक 16.12.14 में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है। इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट मृतक प्रकरण में अपने पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में मृतक श्री हेतराम के शेष वारिसान द्वारा सहमति स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र केवल जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित है, की टिप्पणी को आधार मानते हुए निरस्त किया है, जबकि रिपोर्ट में अपीलांट के आपराधिक पृष्ठभूमि एवं चाल–चलन से संबंधित कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई विशिष्ठ कारण बताये आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अवलोकन अनुसार अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है। अपीलांट अपने मृतक पिता के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज हथियार को लेने के लिये अपने नाम से नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाना चाहता है, जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा समस्त औपचारिकताऐं व पूरी की गयी है । यह तथ्य भी पत्रावली पर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश साधारण ऑर्डर शीट पर ही विधिक प्रक्रिया को अपनाये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2014 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे ।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर